



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010

Ph. (0734) 2512101

Fax (0734) 2512102

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2019/ 1685

उज्जैन, दिनांक 15-03-19

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल


- विषय :-** रतलाम जिले मे प्रस्तावित मांदलियाघाट तालाब सिंचाई योजना के निर्माण मे प्रभावित 14.22 हे. वनभूमि जल संसाधन संभाग रतलाम को उपयोग पर दिये जाने बाबद।
- संदर्भ :-** वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम का पत्र क्रं./माचि/2019/ 826 दिनांक 28-02-2019।

--00--

विषयांकित प्रकरण अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, रतलाम द्वारा उनके संदर्भित पत्र से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रकबा 14.22 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव अन्तर्गत रतलाम वनमण्डल मे प्रभावित 14.22 हे. वन भूमि के संबध मे भाग-I, II मे तैयार कर प्रेषित किया है।

इस कार्यालय से संबंधित निर्धारित प्रारूप भाग-III अपलोड किया जाकर प्रकरण में समतुल्य गैर वन भूमि हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का तकनीकी अनुमोदन किया जाकर पूर्ण प्रस्ताव 02 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(अजय कुमार यादव)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

क्रमांक/मा.चि./2019/ 1686

उज्जैन, दिनांक 15-03-19

प्रतिलिपि :-


01. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय कुमार यादव)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

PART III

S.N.	DESCRIPTION	FOLLOW UP
14	Whether site where the forestland involved is located has been inspected by concerned conservator of forest (Yes/No). If yes the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.	Agree with inspection of DFO Ratlam
15	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.	Yes
16	Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	Forest land required is bare minimum for the project. Hence the proposal recommended for acceptance.


(Ajay Kumar Yadav)
Chief Conservator of Forest
Ujjain Circle, Ujjain

**आदेश द्वारा श्री अजय कुमार यादव (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक,
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2019/ 10

उज्जैन, दिनांक...15-03-19


प्रकरण अन्तर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उनके पत्र क्र./मा. चि/ 2019/573 दिनांक 23-02-19 से वनमण्डल रतलाम के परिक्षेत्र सैलाना के अन्तर्गत कन्सेर के सर्वे नं. 118/4 में प्रस्तावित मांदलियाघाट तालाब हेतु 14.220 हे. वन भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम द्वारा वनभूमि की उपयोगार्थ मांग के बदले समतुल्य गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की है।

अ.क्र.	तहसील का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम/बीट का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. में)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि
1	सैलाना	सैलाना	जावरा	118/4	14.220	6399000/-

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 2012 वॉल्यूम II में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिन्दु क्रं. 14-बी में निहित एवं प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र./एफ 3-2/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2013 से वानिकी कार्यों की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 6399000/- (रु. त्रैसठ लाख निन्यानवे हजार मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्य स्वीकृत जाबदर निर्धारित नार्म एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कराया जावे।
2. कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3. म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-02 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावे।


5. म.प्र. शासन के वर्तमान में प्रचलित समस्त क्रय नियमों का पालन करते हुए ही क्रय की कोई भी कार्यवाही करें।
6. श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
7. उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।


(अजय कुमार यादव)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2019/ 1677

उज्जैन, दिनांक 15-02-19

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम की ओर उनके क्र./मा.चि/ 2019/573 दिनांक 23-02-19 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।


(अजय कुमार यादव)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन